125

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1435–एक/2007 विरूद्व आदेश दिनांक 29–5–2007 – पारित व्दारा आयुक्त रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण कमांक 69/2002–03 निगरानी

वृजेन्द्र प्रसाद पुत्र बद्रीप्रसाद शुक्ला
ग्राम सठीहा तहसील गुढ़ जिला रीवा ———आवेदक

विरूद्व

मध्य प्रदेश शासन ———अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री आर.एस.सेंगर)
(अनावेदकगण के पैनल लायर )

आ दे श
(आज दिनांक 11 – 8–2017 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त रीवा संभाग,रीवा के प्रकरण 69/2002–03 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29–5–2007 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनुविभागीय अधिकारी गुढ़ ने कलेक्टर रीवा को इस आशय का प्रतिवेदन कमांक 12 बी–121/1997–98 दिनांक 18–9–1998 प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम शिवपुरवा तहसील गुढ़ स्थित भूमि कुल किता 9 कुल रकबा 6.16 एकड़ तथा ग्राम सकहेड़ा की भूमि कुल किता 5 कुल रकबा 3012 एकड़ कुल रकबा 9.28 एकड (आगे जिन्हें वादग्रस्त भूमियॉ सम्बोधित किया गया है) पर आवेदक ने फर्जी खसरा प्रविष्टि बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के कराई है एंव रिकार्ड में हेराफेरी करते हुये अपने नाम कराई है – कार्यवाही की जावे। कलेक्टर रीवा ने आवेदक के विरूद्व स्वमेव निगरानी कमांक 85 अ–6/2000–01 एंव 86 अ–6/2000–01 पॅजीबद्व

किये तथा जांच एंव सुनवाई हेतु सूचना पत्र जारी किये। आवेदक कलेक्टर के समक्ष अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित हुआ तथा एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त करने हेतु आवेदन मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। इसके वाद आवेदक एंव उनके अभिभाषक के निरन्तर अनुपस्थित रहने से कलेक्टर रीवा ने एकपक्षीय कार्यवाही की एंव अभिलेखों की छानवीन उपरांत दोनों प्रकरणों में संयुक्त आदेश दिनांक 24–9–2002 पारित किया तथा वादग्रस्त भूमियों पर से आवेदक का नाम निरस्त करना आदेशित किया। इस आदेश के विरूद्व आवेदक ने आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 69/2002–03 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29 मई 07 से निगरानी निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया है कि अनुविभागीय अधिकारी गुढ के जांच प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर रीवा ने आदेश दिनांक 24–9–2002 पारित किया है तथा आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया है। मिथ्या शिकायत पर से किसी पक्षकार के विरूद्व कार्यवाही नहीं की जा सकती। लम्बे समय वाद स्वमेव निगरानी नहीं की जा सकती। वादग्रस्त भूमियां आवेदक के निजी स्वत्व एंव स्वामित्व की है कोई छल कपट नहीं किया गया है। उन्होंने निगरानी स्वीकार करने एंव अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने की मांग रखी।

शासन के पैनल लायर ने तर्को में व्यक्त किया कि वाद विचारित भूमियों पर बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के शासकीय अभिलेख में आवेदक के नाम की प्रविष्टियां की गई थीं जो फर्जी थी जिसके कारण कलेक्टर रीवा ने आदेश दिनांक 24–9–02 से भूमियॉ पुनः पूर्व की स्थिति में मध्य प्रदेश शासन के नाम की हैं। आवेदक जानबूझकर कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुआ है इसलिये अब उसे सुनवाई का भी मौका नहीं दिया जा सकता। उन्होंने निगरानी निरस्त करने

की मांग की।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि यह सही है कि अनुविभागीय अधिकारी गुढ़ के प्रतिवेदन कमांक 12 बी–121/1997–98 दिनांक 18–9–1998 पर से कलेक्टर रीवा ने आवेदक के विरूद्व स्वमेव निगरानी कमांक 85 अ–6/2000–01 एंव 86 अ–6/2000–01 दो प्रकरण पॅजीबद्व किये हैं तथा आवेदक को बचाव प्रस्तुत करने का अवसर देने हेतु दोनों प्रकरणों में प्रथक प्रथक सूचना पत्र जारी किये हैं यह सूचना पत्र आवेदक पर व्यक्तिशः तामील हुये हैं। आवेदक अभिभाषक के माध्यम से दिनांक 28–6–2001 को कलेक्टर रीवा के समक्ष उपस्थित हुआ एंव आवेदक के अभिभाषक ने वकालातनामा प्रस्तुत किया है तथा पूर्व में हुई एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त करने का आवेदन मय शपथ पत्र दिया है एंव बचाव में उत्तर प्रस्तुत करने हेतु समय मांगा है , किन्तु इसके वाद आवेदक एंव उसके अभिभाषक निरन्तर अनुपस्थित रहे है एंव उनके व्दारा यह जानने का प्रयास भी नहीं किया गया कि प्रकरण में आगे क्या कार्यवाही हो रही है। स्पष्ट है कि आवेदक ने जानबूझकर बचाव प्रस्तुत नहीं किया है जिसके कारण उसे पुनः सुनवाई का अवसर देने पर विचार नहीं किया जा सकता।

7/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि लम्बे समय वाद स्वमेव निगरानी नहीं की जा सकती। मामला फर्जी खसरा प्रविष्टि का है। त्रृटिपूर्ण प्रविष्टि की जानकारी होते ही स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण अधिकारिता प्रयुक्त की गई। स्वप्रेरणा कार्यवाही को विलम्बकारी नहीं माना जा सकता । (श्रीमती छोटीवाई विरूद्व म0प्र0राज्य 2009 रा0नि0 357 से अनुसरित) शासकीय भूमि के सम्बन्ध में सूचना होने वावत् किसी ग्रामवासी के आवेदन पत्र पर अथवा उसके व्दारा सूचना दिये जाने पर अथ्वा शिकायत किये जाने पर स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण शक्तियॉ प्रयुक्त की जा सकती हैं। ( राधेश्याम शर्मा बनाम बचन सिंह 2011 रा.नि. 75 से अनुसरित)

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी गुढ़ के प्रतिवेदन कमांक 12 बी–121/1997–98 दिनांक 18–9–1998 पर से वादग्रस्त भूमियों पर आवेदक का नाम

बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति एंव आदेश के छलपूर्वक प्रविष्ट कर दिये जाने की जानकारी होने पर कलेक्टर रीवा ने आवेदक के विरूद्व स्वमेव निगरानी दर्ज कर सुनवाई करने में त्रृटि नहीं की है।

8/ प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य भी प्रकट हुआ है कि अनुविभागीय अधिकारी गुढ़ के व्दारा की जा रही जॉच के दौरान आवेदक ने तहसीलदार व्दारा आवेदक के नाम की गई वादग्रस्त भूमियों के आदेश की छायाप्रति प्रस्तुत की है तहसीलदार के आदेश में अंकित प्रकरण कमांक तहसील की दायरा पॅजी में दर्ज नहीं है । आवेदक व्दारा बचाव में तहसीलदार के आदेश की कूटरचित प्रति छायाप्रति के रूप में प्रस्तुत की है जो सुसंगत साक्ष्य के रूप में ग्राह्य करने एंव माने जाने योग्य नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी गुढ़ ने जॉच में तथा कलेक्टर रीवा व्दारा स्वमेव निगरानी प्रकरण में की गई छानवीन में स्पष्ट हुआ है कि वादग्रस्त भूमियॉ रकबा 9.28 एकड़ पर आवेदक का नाम कूटरचना करके फर्जी भूमिस्वामी के तौर पर दर्ज किया गया है जिसके कारण कलेक्टर रीवा ने स्वमेव निगरानी कमांक 85 अ–6/2000–01 एंव 86 अ–6/2000–01 में पारित संयुक्त आदेश दिनांक 24 सितम्बर 2002 से आवेदक का नाम अभिलेख से निरस्त करना आदेशित किया है जिसके कारण आयुक्त रीवा संभाग,रीवा ने प्रकरण 69/2002–03 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29–5–2007 में कलेक्टर के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

9/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव आयुक्त रीवा संभाग,रीवा व्दारा प्रकरण 69/2002–03 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29–5–2007 विधिवत् होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर